/91531/2023

ई0 पत्रावली संख्या–32184/2022

प्रेषक,

हरिचन्द सेमवाल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 17 जनवरी, 2023

विषयः– वित्तीय वर्ष 2022–23 में अनुदान सं0–20 पूंजीलेखा के राज्य सैक्टर जल संवर्द्धन, जल संरक्षण एवं पेयजल आपूर्ति हेतु जलाशयों आदि का निर्माण कार्य मद के अन्तर्गत योजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1023/प्र0अ0/सिं0वि0/नि0अनु0/पी0–27(राज्य सैक्टर), दि0 05.04.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022–23 में अनुदान सं0–20 पूंजीलेखा के राज्य सैक्टर जल संवर्द्धन, जल संरक्षण एवं पेयजल आपूर्ति हेतु जलाशयों आदि का निर्माण कार्य मद के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विकासखण्ड सहसपुर में जल संवर्द्धन एवं जल संरक्षण मद के अन्तर्गत शुक्लापुर एवं भुड्डी के मध्य हेस्को नदी का पुनर्जीवीकरण कार्य की योजना, लागत रू0 141.72 लाख (रूपये एक करोड इक्तालिस लाख बाहत्तर हजार मात्र) की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2022–23 में संगत मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष 40 प्रतिशत रू0 56.68 लाख (रूपये छप्पन लाख अडसठ हजार) की धनराशि व्यय हेतु निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i) सम्बन्धित धनराशि का व्यय प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत किया जायेगा, धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। जहां कही आवश्यक हो यथावश्यकता सक्षम अधिकारी/शासन की स्वीकृति व्यय से पूर्व प्राप्त कर ली जाय।

(ii) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।

(iii) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(iv) धनराशि व्यय करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत कार्य किसी अन्य योजना/विभाग से स्वीकृत/वित्त पोषित न हो। अन्य योजना/विभाग से स्वीकृत/ वित्त पोषित होने की दशा में इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोग न किया जाय।

(v) स्थल पर जल संवर्द्धन हेतु प्रस्तावित संरचनाओं का इस प्रकार नियोजन किया जाय कि नदी में वर्षाकाल में प्रवाहित जल का अधिक से अधिक भण्डारण हो सके।

(vi) सभी निर्माण कार्य समय–समय पर गुणवत्ता एवं मानकों के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायें।

(vii) कार्यों की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

(viii) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।

(ix) आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(x) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2023 तक पूर्ण उपभोग कर लिया जाये। उक्त अवमुक्त की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व में उक्त योजनाओं हेतु कोई धनराशि तो अवमुक्त नहीं की गयी है, अर्थात् दोहराव की स्थिति उत्पन्न न हो। यदि ऐसी कोई अनियमितता पायी जाती है तो इस हेतु प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(xi) शासनादेश संख्या 2047/XIV–219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

(xii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2023 तक करना सुनिश्चित किया जायेगा, तथा कृत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा। अवमुक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(xiii) स्वीकृत लागत के सापेक्ष कार्य के क्रियान्वयन में यदि कम धनराशि व्यय होती है तो शेष धनराशि शासन को समर्पित कर दी जाये।

(xiv) उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 तथा मितव्ययता के सम्बंध में समय–समय पर निर्गत किये गये आदेशों एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(xv) वित्त विभाग के शासनादेश सं0–236/XXVII(1)/2022/09(150)2019, दिनांक 04.04.2022 एवं शासनादेश संख्या–391/09(150)2019/XXVII(1)/2022, दिनांक 24 जून, 2022 में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में प्राप्त दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 में अनुदान संख्या–20 के अन्तर्गत राज्य सैक्टर जल संवर्द्धन, जल संरक्षण एवं पेयजल आपूर्ति हेतु जलाशयों आदि का निर्माण कार्य मद के लेखाशीर्षक 4701–00–001–02–00–53–वृहद निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–I/89432/2023, दिनांक 06.01.2023 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

Signed by Hari Chandra Semwal
Date: 16-01-2023 17:48:49

(हरिचन्द्र सेमवाल)
सचिव।

ई0 पत्रावली संख्या–32184/2022, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड, कौलागढ रोड, देहरादून ।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कौलागढ़ रोड, देहरादून।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
4. निदेशक, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी देहरादून।
6. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by Jai Lal Sharma
Date: 16-01-2023 18:44:33

(जे0एल0शर्मा)
संयुक्त सचिव।